राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः प 4(IV)/कृ.यंत्र/2016–17/532-753 दिनांकः 13-5-2016

समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद.....।

विषय :–सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन (SMAM) योजनान्तर्गत कस्टम हायरिंग सेन्टर्स (फार्म मशीनरी बैंक फॉर कस्टम हायरिंग, कस्टम हायरिंग हेतु उच्च प्रौद्योगिकी उच्च उत्पादक उपकरण केन्द्र) एवं चयनित ग्राम में कृषि यंत्रीकरण प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश वर्ष 2016–17 बाबत्।

कृषि यंत्रों के प्रयोग से समय, श्रम एवं धन की बचत होती है। राज्य में कृषि क्षेत्र में उन्नत एवं आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रचलन काफी कम है जिसका एक मुख्य कारण कृषि यंत्रों का मंहगा होना एवं कम समय के लिए उपयोग में आना है। लघु एवं सीमान्त श्रेणी के कृषक ऐसे उन्नत एवं आधुनिक कृषि यंत्रों को खरीदने में असमर्थ होते हैं।

भारत सरकार की सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन (**SMAM**) योजना के तहत कस्टम हायरिंग सेन्टर्स **(फार्म मशीनरी बैंक फॉर कस्टम हायरिंग, कस्टम हायरिंग हेतु उच्च प्रौद्योगिकी उच्च उत्पादक उपकरण केन्द्र)** की स्थापना के लिए लागत का 40 प्रतिशत तक बैक एन्ड सब्सिडी दिये जाने का प्रावधान है तथा **चयनित ग्राम में कृषि यंत्रीकरण प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत लागत का** 80 प्रतिशत अनुदान दिये जाने का प्रावधान है।

कस्टम हायरिंग सेन्टर्स **(फार्म मशीनरी बैंक फॉर कस्टम हायरिंग, कस्टम हायरिंग हेतु उच्च प्रौद्योगिकी उच्च उत्पादक उपकरण केन्द्र) तथा चयनित ग्राम में कृषि यंत्रीकरण प्रोत्साहन योजना** के उद्देश्य, पात्रता एवं सामान्य निर्देश तथा भारत सरकार से प्राप्त दिशा–निर्देश संलग्न हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि गत वर्ष के जिलेवार निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों के 50 प्रतिशत लक्ष्य इस वित्तीय वर्ष के लिए आवंटित मानते हुए कस्टम हायरिंग सेन्टर्स **(फार्म मशीनरी बैंक फॉर कस्टम हायरिंग, कस्टम हायरिंग हेतु उच्च प्रौद्योगिकी उच्च उत्पादक उपकरण केन्द्र) तथा चयनित ग्राम में कृषि यंत्रीकरण प्रोत्साहन योजना** का कियान्वयन अविलम्ब प्रारम्भ किया जावे। मुख्यालय द्वारा भारत सरकार से योजनावार प्रावधानों की स्वीकृति प्राप्त होने पर संशोधित योजनावार भौतिक व वित्तीय लक्ष्यों से अवगत करा दिया जावेगा।

(डॉ0 नीरज कुमार पवन)
आयुक्त एवं पदेन्
विशिष्ठ शासन सचिव, कृषि

क्रमांक–प.4 (IV) यंत्र/2016–17/532-753 दिनांकः 13-5-2016

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. निजी सचिव, माननीय कृषि मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. समस्त संभागीय आयुक्त.....।
4. समस्त जिला कलेक्टर.....।
5. निदेशक, अनुसंधान, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर।
6. डीन, कृषि प्रौद्योगिकी एवं अभियांत्रिकी महाविद्यालय, उदयपुर।
7. निदेशक, अनुसंधान, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर।
8. निदेशक (रा.कृ.प्रबंध संस्थान/आत्मा समेति) दुर्गापुरा, जयपुर।
9. अतिरिक्त निदेशक, कृषि (आदान/विस्तार/अनुसंधान/समन्वय), मुख्यालय, जयपुर।

10. संयुक्त निदेशक, कृषि (योजना/आईसोपॉम/आदान/प्र0एवंमू0/पौ0सं0/एटीसी/–शस्य ज0उ0प्र0/गु0नि0/रसायन/विस्तार/आर.के.वी.वाई), मुख्यालय जयपुर।
11. मुख्य सांख्यिकी अधिकारी मुख्यालय जयपुर।
12. समस्त खंडीय संयुक्त निदेशक, कृषि (वि0/तिलहन).....।
13. परियोजना निदेशक, कृषि (विस्तार) सी.ए.डी. कोटा।
14. उप निदेशक, कृषि (विस्तार/बीज/सूचना/सांख्यिकी/योजना/रसायन/एसीपी), मु0 जयपुर।
15. समस्त उप निदेशक, कृषि (विस्तार), जिला परिषद/ईगानप, बीकानेर.....।
16. समस्त सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार),.....।
17. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, सूचना शाखा, मुख्यालय, जयपुर।
18. किसान कॉल सेन्टर, कृषि आयुक्तालय, जयपुर।
19. अध्यक्ष, एग्रीकल्चर ईक्विपमेण्ट मैन्यूफेक्चरिंग सोसाईटी, जयपुर।
20. आरक्षी पत्रावली।

(के. एन. खण्डेलवाल)
उप निदेशक कृषि (अभि0)

परिशिष्ठ–1

कस्टम हायरिंग केन्द्रों (फार्म मशीनरी बैंक फॉर कस्टम हायरिंग/कस्टम हायरिंग हेतु उच्च प्रौद्योगिकी उच्च उत्पादक उपकरण केन्द्र) की स्थापना एवं चयनित ग्राम में कृषि यंत्रीकरण प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन हेतु सामान्य निर्देश

ऐसे निर्माता, अधिकृत विक्रेता, पंजीकृत संस्थाऐं, स्थानीय स्वयं सहायता समूह/कृषक उत्पादन समूह/निजी हितग्राही/कृषि विज्ञान केन्द्र/क्रय विक्रय/ग्राम सेवा सहकारी समितियां जो कृषकों को कृषि कार्यों हेतु किराये पर मशीनें एवं यंत्र उपलब्ध कराकर सेवायें देने के लिये कस्टम हायरिंग केन्द्र (फार्म मशीनरी बैंक फॉर कस्टम हायरिंग/कस्टम हायरिंग हेतु उच्च प्रौद्योगिकी उच्च उत्पादक उपकरण केन्द्र) स्थापित करना चाहते हैं उन्हें मशीनों एवं उन्नत तकनीक के कृषि यंत्र क्रय करने हेतु योजनान्तर्गत सहायता दी जायेगी। कस्टम हायरिंग सेन्टर्स (फार्म मशीनरी बैंक फॉर कस्टम हायरिंग/कस्टम हायरिंग हेतु उच्च प्रौद्योगिकी उच्च उत्पादक उपकरण केन्द्र) के सफल संचालन, क्रियान्वयन करने पर ही नियामानुसार अनुदान देय होगा।

योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार है :–

1. कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देना।
2. अत्याधुनिक तथा मंहगे कृषि यंत्र किराये पर उपलब्ध कराना।
3. लघु एवं सीमान्त कृषकों को कृषि यंत्रीकरण के लिये प्रोत्साहित करना।

1.1 पात्रता एवं शर्तें :–

कस्टम हायरिंग केन्द्र (फार्म मशीनरी बैंक फॉर कस्टम हायरिंग/कस्टम हायरिंग हेतु उच्च प्रौद्योगिकी उच्च उत्पादक उपकरण केन्द्र) की स्थापना हेतु सहायताः–

1. सभी श्रेणी के आवेदक इस योजना के अन्तर्गत कस्टम हायरिंग (Custom Hiring) इकाई की स्थापना हेतु अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। आवेदक द्वारा अधिकतम रु0 40.00 लाख तक की लागत का एक फार्म मशीनरी बैंक फॉर कस्टम हायरिंग अथवा अधिकतम रु0 100.00 लाख तक की लागत का एक कस्टम हायरिंग हेतु उच्च प्रौद्योगिकी उच्च उत्पादक उपकरण केन्द्र स्थापित किया जा सकेगा।

2. कृषि अभियांत्रिकी/कृषि स्नातक आवेदकों के अतिरिक्त शिक्षित स्नातक बेरोजगार एवं मान्यता प्राप्त संस्थान से कृषि मशीनरी से सम्बन्धित प्रशिक्षण में प्रशिक्षित आवेदकों, जो कस्टम हायरिंग केन्द्र (फार्म मशीनरी बैंक फॉर कस्टम हायरिंग/कस्टम हायरिंग हेतु उच्च प्रौद्योगिकी उच्च उत्पादक उपकरण केन्द्र) स्थापित करना चाहते हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जावेगी।

3. कस्टम हायरिंग केन्द्र (फार्म मशीनरी बैंक फॉर कस्टम हायरिंग/कस्टम हायरिंग हेतु उच्च प्रौद्योगिकी उच्च उत्पादक उपकरण केन्द्र) स्थापना हेतु ऋण राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक से प्राप्त किया जा सकेगा। आवेदक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उनके द्वारा प्राप्त किये गये ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्रों का संचालन उपयुक्त एवं वैद्य ड्राइविंग लाइसेंस धारक व्यक्ति द्वारा ही किया जायेगा।

4. कस्टम हायरिंग सेन्टर (फार्म मशीनरी बैंक फॉर कस्टम हायरिंग/कस्टम हायरिंग हेतु उच्च प्रौद्योगिकी उच्च उत्पादक उपकरण केन्द्र) की स्थापना के लिये ऋण उपलब्ध कराने हेतु बैंकर्स को योजना की जानकारी दी जाकर उचित ब्याज दर पर हित ग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु तैयार किया जायेगा।

5. पच्चीस लाख से ज्यादा लागत के कस्टम हायरिंग सेन्टर (फार्म मशीनरी बैंक फॉर कस्टम हायरिंग/कस्टम हायरिंग हेतु उच्च प्रौद्योगिकी उच्च उत्पादक उपकरण केन्द्र) स्थापित करने हेतु बैंक से ऋण लेना अनिवार्य है। यह क्रेडिट लिंक्ड बैक एन्डेड सब्सिडी (Credit Linked Back Ended Subsidy)

योजना है जिसमें बैक एन्डेड सब्सिडी अनुदान का भुगतान ऋण स्वीकृत करने वाले बैंक को किया जायेगा। **योजनान्तर्गत प्रकरणों को बैंकों द्वारा एम.एस.ई. (Micro and Small Enterprise) सेक्टर अंतर्गत स्वीकृत किया जायेगा।**

6. राशि रू. 25.00 लाख तक के कस्टम हायरिंग केन्द्र (फार्म मशीनरी बैंक फॉर कस्टम हायरिंग/कस्टम हायरिंग हेतु उच्च प्रौद्योगिकी उच्च उत्पादक उपकरण केन्द्र) स्थापित करने में बैंक से ऋण लिया जाना अनिवार्य नहीं है। **आवेदनों की ऐसी स्थिति में आवेदक को देय बैक एन्ड सब्सिडी के तुल्य राशि विभाग के नाम सावधि जमा अथवा बैंक गारण्टी के रूप में चार वर्ष की अवधि के लिये सुरक्षित रखी जायेगी ताकि इन केन्द्रों का न्यूनतम निर्धारित अवधि तक संचालन सुनिश्चित किया जा सके।** इस योजना के माध्यम से अधिकाधिक कृषकों को लाभान्वित करने हेतु राशि रू. 25.00 लाख से कम लागम में कस्टम हायरिंग केन्द्र (फार्म मशीनरी बैंक फॉर कस्टम हायरिंग/कस्टम हायरिंग हेतु उच्च प्रौद्योगिकी उच्च उत्पादक उपकरण केन्द्र) की स्थापना बैंक ऋण के माध्यम से स्थापित किये जाने हेतु आवेदकों को प्रोत्साहित किया जाये।

7. बैंक द्वारा मार्जिन मनी को छोड़कर शेष राशि के बराबर का ऋण आवेदक को स्वीकृत किया जायेगा। ऋण अदायगी में आवेदक द्वारा बैंक की राशि लौटाने के उपरांत अनुदान की राशि का समायोजन एक मुश्त रुप से बैंक द्वारा किया जायेगा। आवेदक ऋण राशि अदा करने में असफल होता है तो उसे अनुदान का लाभ भी प्राप्त नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आवेदक बैंक द्वारा प्रदत्त ऋण राशि एवं देय ब्याज का देनदार रहेगा। बैंक को अनुदान राशि पुनः विभाग को लौटानी होगी।

8. स्वीकृत किये गये ऋण को 4 वर्ष की अवधि (Lock-in Period) के पूर्व पूर्णरुप से लौटाया नहीं जा सकेगा। (Lock-in Period) की अवधि के पूर्व आवेदक द्वारा बैंक ऋण पूर्ण रुप से चुकाने पर आवेदक अनुदान का पात्र नहीं रहेगा। इस स्थिति में बैंक द्वारा अनुदान की राशि विभाग को वापिस की जावेगी।

9. अनुदान की राशि जब तक बैंक के पास रहेगी तब तक उस पर विभाग/आवेदक को कोई ब्याज देय नहीं होगा। ऋण राशि से अनुदान की राशि घटाने के बाद शेष राशि पर ही बैंक द्वारा आवेदक से ब्याज लिया जायेगा।

10. योजनान्तर्गत क्रय किए गए ट्रेक्टर एवं कृषि मशीनों से न्यूनतम 10 वर्ष तक कस्टम हायरिंग **(Custom Hiring)** सेवायें कृषकों को प्रदान करनी आवश्यक होगी। इस अवधि के पूर्व बैंक ऋण अदा हो जाने की स्थिति में भी कृषकों को कस्टम हायरिंग सेवायें इस अवधि तक दी जाना आवश्यक होगी। इस हेतु आवेदक को एक शपथ पत्र देना होगा।

11. स्वीकृत ऋण की वसूली अधिकतम 9 वर्ष में की जावेगी तथा ऋण स्थगन अवधि (Moratorium Period) अधिकतम 6 माह रहेगी।

12. योजना के तहत क्रय की गई मशीनों/यंत्रों आदि को ऋण प्रदाय किये गये बैंक के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति/समिति को आवेदक द्वारा ऋण अवधि तक विक्रय/रेहन (Mortgage) अथवा हस्तांतरित नही किया जा सकेगा। इसका उल्लंघन किये जाने पर विभाग को नियमानुसार अनुदान राशि मय प्रचलित ब्याज के वापस करनी होगी। राशि वापस न किये जाने की दशा में संपूर्ण राशि की वसूली हेतु आवेदक पर कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी।

13. आवेदक द्वारा बैंक ऋण अदा न करने की स्थिति में बैंक द्वारा वैधानिक कार्यवाही उपरांत वसूल की गई राशि में से प्रथमतः बैंक की ऋण राशि (ब्याज सहित) समायोजित की जाकर शेष राशि आवेदक को लौटाई जायेगी।

14. कस्टम हायरिंग केन्द्र (फार्म मशीनरी बैंक फॉर कस्टम हायरिंग/कस्टम हायरिंग हेतु उच्च प्रौद्योगिकी उच्च उत्पादक उपकरण केन्द्र) की स्थापना हेतु क्रय की गई मशीनों/यंत्रों के शेड निर्माण एवं आवश्यकतानुसार भूमि आदि की व्यवस्था तथा कृषि यंत्रों का रख रखाव आवेदक को स्वयं करना होगा। आवेदक को अनुदान राशि केवल मशीनों/यंत्रों की लागत के आधार पर देय होगी।

15. फार्म मशीनरी बैंक फॉर कस्टम हायरिंग के द्वारा कम से कम 300 हैक्टेयर क्षेत्रफल प्रति सीजन में कृषकों को सुविधा प्रदान करने हेतु सक्षम होना चाहिये। कस्टम हायरिंग हेतु उच्च प्रौद्योगिकी उच्च उत्पादक उपकरण केन्द्र के द्वारा कम से कम 500 हैक्टेयर क्षेत्रफल प्रति सीजन में कृषकों को सुविधा प्रदान करने हेतु सक्षम होना चाहिये।

16. फार्म मशीनरी बैंक फॉर कस्टम हायरिंग की एक ईकाई हेतु उदाहरणार्थ निम्नानुसार यंत्र/उपकरण रखे जायेंगे: –

1. एक ट्रेक्टर
2. एक सीड कम फर्टिलाईजर ड्रिल
3. एक डिस्क प्लाउ अथवा डिस्क हेरो
4. एक कल्टीवेटर
5. एक रोटावेटर
6. एक ट्रेक्टर चलित रीपर
7. एक मल्टीकॉप पावर थ्रेसर

उपरोक्त सभी यंत्र ट्रेक्टर की हार्सपावर के अनुकूल होना आवश्यक हैं। इन आवश्यक यंत्रों के अतिरिक्त क्षेत्र एवं फसलों के आधार पर अन्य उपर्युक्त यंत्रों/मशीनों का चयन भी योजनान्तर्गत अनुमोदित यंत्रों की सूची में से किया जा सकेगा। कस्टम हायरिंग केन्द्र (फार्म मशीनरी बैंक फॉर कस्टम हायरिंग/कस्टम हायरिंग हेतु उच्च प्रौद्योगिकी उच्च उत्पादक उपकरण केन्द्र) पर प्रोजेक्ट लागत अनुसार रखे जाने वाले यंत्रों/मशीनों की सूची परिशिष्ट–2(अ) पर उपलब्ध है।

चयनित ग्राम में कृषि यंत्रीकरण प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन हेतु सहायता:–

17. कृषकों की सहकारी समितियों, कृषकों के स्वयं सहायता समूहों, कृषक उत्पादक संगठनों आदि (न्यूनतम 8 कृषक प्रति बैंक) के द्वारा ऐसे ग्राम जहाँ कृषि यंत्रीकरण की यथेष्ट प्रगति नहीं है, का चयन "चयनित ग्राम में कृषि यंत्रीकरण प्रोत्साहन योजना" के अन्तर्गत फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना हेतु किया जा सकता है। इस प्रकार स्थापित किये जाने वाले फार्म मशीनरी बैंक की अधिकतम लागत राशि रू. 10.00 लाख होगी। योजनान्तर्गत फार्म मशीनरी बैंक की लागत का 80 प्रतिशत अनुदान देय है।
18. कृषकों की सहकारी समितियों, कृषकों के स्वयं सहायता समूहों, कृषक उत्पादक संगठनों आदि के द्वारा स्थापित किये जाने वाले इन फार्म मशीनरी बैंक में रखे गये कृषि उपकरणों/यंत्रों का उपयोग उसके सदस्यों के द्वारा ही किया जा सकेगा।

1.2 कियान्वयन :–

1. कृषि आयुक्तालय द्वारा कस्टम हायरिंग केन्द्र (फार्म मशीनरी बैंक फॉर कस्टम हायरिंग/कस्टम हायरिंग हेतु उच्च प्रौद्योगिकी उच्च उत्पादक उपकरण केन्द्र) की स्थापना एवं कृषि यंत्रीकरण प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन के लक्ष्यों का जिलेवार निर्धारण किया जायेगा तथापि क्षेत्र विशेष की मांग तथा प्राप्त आवेदनों के अनुसार खण्डीय स्तर पर समीक्षा उपरान्त लक्ष्यों का पुर्ननिधारण किया जा सकेगा।

2. संबंधित जिले में उप निदेशक, कृषि (विस्तार) जिला परिषद् कार्यालय द्वारा योजनाओं का व्यापक प्रचार–प्रसार करते हुए आवेदन आमंत्रित किये जायेगें। इच्छुक आवेदक द्वारा आवश्यक अभिलेखों सहित आवेदन (निर्धारित प्रारुप परिशिष्ठ–1(अ) एवं 1(ब) में) प्रस्तुत किया जावेगा।

3. संबंधित जिले में उप निदेशक, कृषि (विस्तार) जिला परिषद् कार्यालय द्वारा योग्य आवेदनों की सूची आवेदकों द्वारा आवेदन पत्र में उपलब्ध कराये गये तथ्यों के सत्यापन, प्रस्तावित कृषि यंत्रों की क्षेत्र में उपादेयता का निर्धारण तथा प्रस्तावित केन्द्र के द्वारा कस्टम हायरिंग सेवाये प्रदान किया जाने हेतु प्रस्तावित क्षेत्र के आधार पर करते हुये तैयार की जायेगी।

4. कस्टम हायरिंग केन्द्र (फार्म मशीनरी बैंक फॉर कस्टम हायरिंग/कस्टम हायरिंग हेतु उच्च प्रौद्योगिकी उच्च उत्पादक उपकरण केन्द्र) के आवेदकों की सूची दो भागों में तैयार की जावेगी। प्रथम सूची कृषि अभियांत्रिकी/कृषि स्नातकों तथा शिक्षित स्नातक बेरोजगार एवं मान्यता प्राप्त संस्थान से कृषि मशीनरी से सम्बन्धित प्रशिक्षण में प्रशिक्षित आवेदकों की तैयार की जायेगी तथा द्वितीय सूची अन्य आवेदकों की तैयार की जायेगी। प्रत्येक सूची "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर तैयार की जायेंगी। प्रथम सूची के सभी आवेदकों को विचार क्षेत्र में लेने के उपरांत शेष रहे लक्ष्यों हेतु द्वितीय सूची के आवेदकों पर विचार किया जायेगा। इस प्रकार तैयार की गई सूचियों पर **जिला स्तरीय समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।** चयनित ग्राम में कृषि यंत्रीकरण प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन हेतु तैयार की गई सूचियों पर **जिला स्तरीय समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। उक्त सूचियाँ आवेदन आमंत्रित किये जाने वाले वित्तीय वर्ष हेतु ही वैद्य रहेंगी।**

5. प्राप्त आवदनों की अनुमोदित सूची सम्बन्धित जिले के उप निदेशक, कृषि (वि0) जिला परिषद कार्यालय द्वारा अपनी अनुशंसा के साथ खण्डीय संयुक्त निदेशक के माध्यम से आयुक्तालय को प्रशासनिक स्वीकृति हेतु अग्रेषित की जायेगी। आयुक्तालय स्तर से प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के उपरान्त जिले में उप निदेशक, कृषि (विस्तार) जिला परिषद् कार्यालय इस प्रकार प्राप्त प्रकरणों को आवेदक द्वारा चाहे गये बैंकों में अगली कार्यवाही हेतु प्रेषित करेंगें। निजी आवेदक राष्ट्रीयकृत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अथवा जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक से ऋण प्राप्त कर सकेंगे तथा कय विकय/ग्राम सेवा सहकारी समितियाँ जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक/राष्ट्रीयकृत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से ऋण प्राप्त कर सकेगें।
6. सम्बन्धित जिले के उप निदेशक, कृषि (वि0) जिला परिषद कार्यालय द्वारा आवदेक को बैंक से ऋण स्वीकृति/सहमति पत्र जारी होने के आधार पर प्रकरण आयुक्तालय को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जायेगा।

7. विभाग से अनुदान प्राप्त होने के पश्चात आवेदक/समिति द्वारा बैंक के आवश्यक ऋण दस्तावेजों का निष्पादन 7 दिवस में किया जाना होगा। तत्पश्चात बैंक द्वारा नियमानुसार आवेदक/समिति को योजना के अनुसार ट्रेक्टर एवं अन्य कृषि यंत्र हेतु ऋण प्रदान कराया जायेगा। कस्टम हायरिंग केन्द्र (फार्म मशीनरी बैंक फॉर कस्टम हायरिंग/कस्टम हायरिंग हेतु उच्च प्रौद्योगिकी उच्च उत्पादक उपकरण केन्द्र) हेतु कय की गई मशीनों/यंत्रों एवं ट्रेक्टर का बीमा आवेदक/समिति द्वारा स्वयं के व्यय पर किया जाना अनिवार्य होगा।

8. आवेदक द्वारा केन्द्र की स्थापना हेतु बैंक से ऋण स्वीकृत/जारी होने के उपरान्त तीन माह की अवधि में कस्टम हायरिंग केन्द्र (फार्म मशीनरी बैंक फॉर कस्टम हायरिंग, कस्टम हायरिंग हेतु उच्च प्रौद्योगिकी उच्च उत्पादक उपकरण केन्द्र) का संचालन आरम्भ किया जाना अनिवार्य होगा एवं चयनित ग्राम में कृषि यंत्रीकरण प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन की स्वीकृत जारी होने के उपरान्त तीन माह की अवधि में संचालन आरम्भ किया जाना अनिवार्य होगा जिसका भौतिक सत्यापन खण्डीय संयुक्त निदेशक कार्यालय द्वारा किया जायेगा। भौतिक सत्यापन हेतु गठित की जाने वाली समिति में सम्बन्धित सहायक निदेशक, खण्डीय सहायक अभियंता तथा संबन्धित बैंक के शाखा प्रबन्धक अनिवार्य रूप से सम्मिलित किये जायेगे तथा समिति द्वारा भौतिक सत्यापन आवेदक की उपस्थिति में किया जाएगा।

9. कस्टम हायरिंग केन्द्र (फार्म मशीनरी बैंक फॉर कस्टम हायरिंग, कस्टम हायरिंग हेतु उच्च प्रौद्योगिकी उच्च उत्पादक उपकरण केन्द्र) योजनान्तर्गत कय किए गए ट्रेक्टर एवं अन्य कृषि मशीनों का कस्टम हायरिंग (custom Hiring) के प्रयोजन हेतु उपयोग सुनिश्चित करने हेतु आवेदक को एक सहमति पत्र (undertaking) देना होगा। केन्द्र के द्वारा कृषि मौसम में केवल कृषि संबंधित कार्य ही किये जा सकेंगे। वर्षाकाल आदि में जब कृषि कार्य नहीं होते हैं तब अकृषि कार्य भी किये जा सकेंगे।

10. कस्टम हायरिंग केन्द्र (फार्म मशीनरी बैंक फॉर कस्टम हायरिंग, कस्टम हायरिंग हेतु उच्च प्रौद्योगिकी उच्च उत्पादक उपकरण केन्द्र) एवं चयनित ग्राम में कृषि यंत्रीकरण प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रदाय की गई मशीनों/उपकरणों/कृषि यंत्रों को आवेदक/समिति द्वारा सही हालत में रखना होगा। इसका निरीक्षण समय–समय पर विभागीय अधिकारियों द्वारा किया जायेगा।

11. कृषकों के खेतों में किये गये कार्यो का विवरण कस्टम हायरिंग केन्द्र (फार्म मशीनरी बैंक फॉर कस्टम हायरिंग, कस्टम हायरिंग हेतु उच्च प्रौद्योगिकी उच्च उत्पादक उपकरण केन्द्र) द्वारा एक रजिस्टर में निर्धारित प्रारुप में संधारित करके रखा जाना होगा। चयनित ग्राम में कृषि यंत्रीकरण प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत सदस्यों के खेतों में किये गये कार्यो का विवरण एक रजिस्टर में निर्धारित प्रारुप में संधारित करके रखा जाना होगा। इनका निरीक्षण भी समय–समय पर विभागीय अधिकारियों द्वारा किया जायेगा। विभाग द्वारा चाहे जाने पर केन्द्र को संधारित जानकारियां उपलब्ध करानी होंगी।

12. आवेदक द्वारा उपरोक्त आवश्यकताओं की पूर्ति के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा।

परिशिष्ठ–1(अ)

कस्टम हायरिंग केन्द्र (फार्म मशीनरी बैंक फॉर कस्टम हायरिंग, कस्टम हायरिंग हेतु उच्च प्रौद्योगिकी उच्च उत्पादक उपकरण केन्द्र) स्थापित करने हेतु आवेदन

उप निदेशक,कृषि (विस्तार)
जिला परिषद.....।

विषय :– "सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन" योजना के अंतर्गत कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित करने हेतु आवेदन।

महोदय,

मैं विषयांतर्गत कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित करने का इच्छुक हूँ। मेरे से संबंधित विवरण निम्नानुसार है :–

1	नाम	–	
2	पिता/पति का नाम	–	
3	आयु (प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)	–	
4	जति (अनु.जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/सामान्य) (जातिप्रमाण पत्र की स्वंय द्वारा प्रमाणित छायाप्रति लगाये)	–	
5	क्या आवेदक कृषि अभियांत्रिकी/कृषि स्नातक है	–	हां/नहीं
6	शैक्षणिक योग्यता (न्यूनतम स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण) (अंकसूची की स्वंय द्वारा प्रमाणित छायाप्रति लगाये)	–	
7	निवास का पता–	–	
	ग्राम	–	
	ग्राम पंचायत	–	
	विकासखण्ड	–	
	जिला	–	
	मोबाईल न.	–	
8	आधार कार्ड संख्या	–	
	भामाशाह कार्ड संख्या	–	

9. कस्टम हायरिंग केन्द्र के द्वारा लाभान्वित होने वाले ग्रामों का नाम एवं कृषि योग्य क्षेत्र

क्र. सं.	ग्राम का नाम	ग्राम में कृषि योग्य भूमि

10. कस्टम हायरिंग केन्द्र में रखे जाने वाले ट्रेक्टर एवं कृषि यंत्रों की सूची

क्र. सं.	ट्रेक्टर एवं कृषि यंत्र का नाम	संख्या	निर्माता/मॉडल	अनुमानित कीमत
1.	ट्रेक्टर			
2.	कृषि यंत्र			
3.	कृषि यंत्र			
4.	कृषि यंत्र			
5.	कृषि यंत्र			
	कृषि यंत्र			
	कृषि यंत्र			
	कृषि यंत्र			
	अन्य मशीनें			
	योग			

11. बैंक का विवरण जहां से ऋण प्राप्त करना चाहता हूं।

1	बैंक का नाम	:–	
2	बैंक शाखा का विवरण	:–	

12. पूर्व में प्राप्त ऋण का विवरण :

क्र. सं.	बैंक का नाम	प्रयोजन जिसके लिये ऋण लिया गया	राशि	वर्तमान बकाया राशि

13. उपलब्ध संसाधनो का विवरण (जैसे भूमि,शेड, कृषि योग्य भूमि आदि) :–

क्रमांक	संसाधन	विवरण

मैं.....घोषणा करता हूं कि योजना के नियम तथा शर्तो का पालन करने हेतु बाध्य रहूंगा। मैं बैंक ऋण में अपने हिस्से की मार्जिन मनी देने में सक्षम हूं।

ग्राम :–

दिनांक :–

हस्ताक्षर
(आवेदक का नाम)
समिति/संस्था की स्थिति में पदनाम दें
तथा सील भी लगाये

परिशिष्ठ–1(ब)

चयनित ग्राम में कृषि यंत्रीकरण प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत फार्म मशीनरी बैंक स्थापित करने हेतु आवेदन

उप निदेशक,कृषि (विस्तार)
जिला परिषद.....।

विषय :– ''सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन'' योजना मे चयनित ग्राम में कृषि यंत्रीकरण प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत फार्म मशीनरी बैंक स्थापित करने हेतु आवेदन

महोदय,

हमारा समूह विषयांतर्गत चयनित ग्राम में कृषि यंत्रीकरण प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत फार्म मशीनरी बैंक स्थापित करने का इच्छुक है। हमारे समूह से संबंधित विवरण निम्नानुसार है :–

1 समूह का नाम :
2 समूह का प्रकार :
3 समूह के गठन की दिनांक :
(प्रमाण की छायाप्रति संलग्न करें)

4 ग्राम, ग्राम खण्ड एवं जिला जिसमें समूह कार्यरत है। :
- ग्राम :
- ग्राम पंचायत :
- विकासखण्ड :
- जिला :

5 समूह के अध्यक्ष/प्राधिकृत पदाधिकारी का विवरण :
- नाम :
- पता :
- शैक्षणिक योग्यता :
- स्वंय के नाम से कृषि भूमि के स्वामित्व :
- का विवरण (प्रमाण की छायाप्रति संलग्न करें) आधार कार्ड नम्बर एवं भामाशाह :
- कार्ड नम्बर :
- फोन/मोबाईल नम्बर :

6. **समूह के सदस्यों का विवरण**

क्र. सं.	समूह के सदस्य का नाम	ग्राम	शैक्षणिक योग्यता	जति (जाति प्रमाण पत्र की स्वंय द्वारा प्रमाणित छायाप्रति लगाये)	भामाशाह/आधार कार्ड नं.	स्वंय के नाम से कृषि भूमि का स्वामित्व का विवरण (प्रमाण की छायाप्रति संलग्न करें)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6						
7						

8						
9						
10						

7.फार्म मशीनरी बैंक में रखे जाने वाले कृषि उपकरण (विभाग द्वारा अनुमोदित निर्माताओं/विक्रेता से क्रय किये जाने वाले कृषि यंत्रों के कोटेशन संलग्न करें)

क्र.सं.	ट्रेक्टर एवं कृषि यंत्र का नाम	संख्या	मेक एवं निर्माता	कोटेशन के आधार पर अनुमानित कीमत
1	ट्रेक्टर			
2	कृषि यंत्र			
3	कृषि यंत्र			
4	कृषि यंत्र			
5	अन्य मशीनें			
6	अन्य मशीनें			
7	अन्य मशीनें			
8	योग			

8. समूह द्वारा पूर्व में प्राप्त ऋण का विवरण :–

क्र. सं.	बैंक का नाम	प्रयोजन जिसके लिये ऋण लिया गया	राशि	वर्तमान बकाया राशि

9. बैंक का विवरण जहां से समूह ऋण प्राप्त करना चाहता है।

1	बैंक का नाम	:–	
2	बैंक शाखा का विवरण	:–	

10. समूह के पास उपलब्ध संसाधनो का विवरण :–

क्रमांक	संसाधन	विवरण

मैं.....घोषणा करता हूं कि योजना के नियम तथा शर्तो का पालन करने हेतु समूह बाध्य रहेगा । समूह बैंक ऋण में अपने हिस्से की मार्जिन मनी देने में सक्षम है।

ग्राम :–
दिनांक :–

हस्ताक्षर
(आवेदक का नाम)
समिति/संस्था की स्थिति में पदनाम दें तथा सील भी लगाये

ABSTRACT OF THE GUIDELINE FOR FARM MACHINERY BANK FOR CUSTOM HIRING, HI - TECH, HIGH PRODUCTIVE EQUIPMENT HUB FOR CUSTOM HIRING & PROMOTION OF FARM MECHANIZATION IN SELECTED VILLAGE UNDER SUB MISSION ON AGRICULTURAL MECHANIZATION

Abstract of the guideline received from GoI for Farm Machinery Bank for Custom Hiring, Hi- Tech High Productive Equipment Hub for Custom Hiring and Promotion of Farm Mechanization in selected villages is as below:

A. Farm Machinery Banks for Custom Hiring

(a) Objectives of custom hiring enterprises

(i) To promote mechanization in districts with low farm power availability.
(ii) To provide hiring services for various agricultural machinery / implements applied for different operations.
(iii) To expand mechanized activities during cropping seasons in large areas especially in small and marginal holdings.
(iv) To involve manufacturers / KVKs in operation and maintenance of machines in the hiring centers.
(v) To Introduce improved / newly developed agricultural implements and machines in crop production

(b) Area of Operation & Composition of custom hiring Centre

(i) Custom hiring centers will be established in the districts identified for implementation in the States AAP.
(ii) The districts in the states AAP will include villages having low farm power availability and large area under small and marginal holdings.
(iii) Each CHC will have the capacity to cover minimum area of 10 ha/day and at least 300 ha in a cropping season. Machines can be hired for entire operations from land development to residue management
(iv) Each CHC will be set up on specific crop based, cost based and cluster based approach. Each custom hiring centre will have small crop specific machinery suitable for local requirement for mechanized farming under small and marginal holdings.
(v) The following parameters may be chosen for selection of village/Town for setting up of custom hiring centers:
  (a) Low ratio of farm power availability.
  (b) Low number of tractor population
  (c) Small & marginal operational Holdings
  (d) Less productivity of food grains but potential to enhance productivity.
(vi) District level agencies will identify / invite application of entrepreneurs including manufacturers to set up CHCs.
(vii) Any business model can be adopted for expanding the reach of mechanization through custom hiring centers. It will be necessary to maintain, upgrade the CHCs from time to time.

(c) Identification of machines/Implements:

(i) Entrepreneurs will select such machinery / implements appropriate for the crops grown in the identified districts.

(ii) Entrepreneurs will select machinery / implements for entire operations of a particular crop grown in that area.

(iii) The capacity of the machines will be selected on the basis of area to be covered in a cropping season

(iv) Machines / equipments will be selected from the suggestive list available at annexure 2 (A).

(d) Procurement of Machinery: Procurement would be from the approved suppliers/manufacturers. The beneficiary is free to procure any brand as per his choice from the approved list. However, only tested equipments from either FMTTIs or designated Institute from DAC & FW are eligible for subsidy for establishing the custom hiring centers.

(e) Financial Assistance:

(i) Financial assistance for setting up of custom hiring centers will be available to rural entrepreneurs, progressive farmer and SHGs as per pattern of assistance as indicated in table given below.

Sr.No	Item	Maximum Permissible Project Cost	Pattern of Assistance
A	Procurement Subsidy for Establishment of Custom Hiring Centre upto 10 lakh	Project based Rs. 4.00 lakh	40%
B	Procurement Subsidy for Establishment of Custom Hiring Centre upto 25 lakh	Project based Rs. 10.00 lakh	40%
C	Procurement Subsidy for Establishment of Custom Hiring Centre upto 40 lakh	Project based Rs. 16.00 lakh	40%

(ii) The custom hiring centers having the project cost more than Rs. 25 lakh will be established under the model of credit linked back ended financial assistance.

(iii) The bank will lock the financial assistance released to them for a period of 4 years. The beneficiary will repay the complete bank loan within the period of not less than 4 years. The Beneficiary will not allowed to transfer/sell/mortgage the CHC to any one before the completion of 6 years.

(f) Monitoring:

(i) The established CHCs will be provided technical assistance from KVKs/enlisted manufacturers/Approved Testing Centers, FMTTIs and ICAR centres to maintain and train CHC entrepreneurs.

(ii) The custom hiring centres established under the mission will be supervised by the District Agriculture Officer for its operation so that custom hiring charges are reasonable and affordable to small and marginal farmers.

(g) Partnerships: The CHCs can be established by the manufacturers in PPP mode. They may also be encouraged to undertake maintenance of the machinery for a given number of CHCs. They may undertake exposure visits of the beneficiaries in other districts/states. They may enter into annual maintenance contracts for supply of spare parts

B. Hi-Tech, High Productive Equipment Hub for Custom Hiring:

a) Objectives:

(i) To promote utilization of hi-tech, high value machines for higher productivity

(ii) To provide hiring services for various high value crop specific machines applied for different operations.

(iii) To expand mechanized activities during cropping seasons to cover large areas

(iv) To involve manufacturers for setting up of such centres

b) Area of Operation & Composition of Hi-tech hub

(i) Hubs will be established in the districts identified for implementation in the State AAP having larger area under cash and other high value crops.

(ii) Each hub will have the capacity to cover at least 500 ha in a cropping season. Machines can be hired for crop specific operations

(iii) The following parameters may be chosen for selection of Village/Town for setting up of custom hiring centers:
   a) Larger area under cash crops/high value crops
   b) High potential areas

(iv) District level agencies will identify / invite application of entrepreneurs including manufacturers to set up hubs

(v) It will be necessary to maintain, upgrade the hubs from time to time.

c) Identification of machines:

(i) Entrepreneurs/manufacturers will select such machinery appropriate for the cash and other high value crops grown in the identified districts

(ii) The type and capacity of the machines will be selected on the basis of area to be covered in a cropping season.

d) Financial Assistance:

i Financial assistance for setting up of hubs will be available to entrepreneurs/ manufacturers as per pattern of assistance as indicated in the table given below.

Sr.No	Item	Maximum Permissible Project Cost	Pattern of Assistance
A	Procurement Subsidy for Establishment of Custom Hiring Centre upto 100 lakh	Project based Rs. 40.00 lakh	40%

ii Hubs will be established under the model of credit linked back ended financial assistance.

iii Bank will lock the financial assistance released to them as per the terms of repayment of loan. The Beneficiary will not be allowed for transfer/ sell/ mortgage the hubs to anyone.

e) Monitoring

(i) The established machinery hubs will be provided technical assistance from KVKs/ manufacturers/Approved Testing Centres, FMTTIs and ICAR centres for maintenance and training

(ii) The hubs established under the mission will be supervised by the District Agriculture Officer for its operation so that hiring charges are reasonable and affordable to farmers.

C. Promotion of farm mechanization in selected villages

a) Objectives:

(i) To establish farm machinery banks by the Cooperative Societies of farmers, Self Help Group of Farmers, FPO etc. in the selected villages of low mechanized states so as to encourage members to take up appropriate mechanized operations

(ii) To conduct demonstrations in large areas with the assistance of Custom Hiring Centers set up under component (4) of Sub Mission Agricultural Mechanization.

b) Area of Operation:

(i) Districts with low farm power availability will be selected in each state

(ii) Villages will be selected from these districts

(iii) SHGs, Cooperative Societies, FPOs and any such other entities in these villages will be eligible for financial assistance for setting up of farm machinery banks for operating machines and equipments by the member beneficiaries

(iv) Custom Hiring Centers set up under component (4) of Sub Mission Agricultural Mechanization shall be involved in conducting demonstration of the machines and equipments as per the guidelines

c) Financial Assistance: Each village will be eligible for setting up of farm machinery banks upto a maximum project cost of Rs. 10 lakhs. Financial assistance @80% of the project cost will be provided for such machinery banks.For demonstration. Financial assistance will be as per table given below.

Sr. No	Item	Maximum Permissible Project Cost	Pattern of Assistance
A	Financial assistance for Farm Machinery Banks with minimum 8 Farmers per Bank	Up to Rs. 10.00 lakh per Farm Machinery Bank	80%

d) Supervision: Supervised by the District Agriculture Officer for operating cost of Farm Machinery Banks & cost of hiring and demonstrations to be conducted

परिशिष्ठ–2 (अ)

Suggestive list of Agriculture Machinery for custom hiring centres

S.No.	Type/Name of Agriculture Machinery	
	Tractor/Power Driven Implements/Equipments	
A	**Sowing, Planting Reaping, & Digging Implements**	
1	Seed Drill	12. Turbo Seeder
2	Seed Cum Fertilizer Drill	13. Happy Seeder
3	Zero Till Seed Cum Fertilizer Drill	14. Rice Straw Chpper
4	Strip Till Drill	15. Post Hole Digger
5	Multi crop Planter	16. Potato Planter
6	Raised Bed Planter	17. Potato Digger
7	Ridge Furrow Planter	18. Ground Nut Digger
8	Sugarcane Cutter/Stripper/Planter	19. Tractor Drawn Reaper
9	Pneumatic Planter	20. Zero Till Multicrop Planter
10	Pneumatic Vegetable Transplanter	21. Tractor Drawn Reaper
11	Pneumatic Vegetable Seeder	22.Onion Harvestor
B	**Land Development Tillage & Seed bed Preparation Implements**	
1	M.B. Plough	9. Power Harrow
2	Disc Plough	10. Chisel Plough
3	Cultivator	11. Laser Land Leveller
4	Harrows	13. Rotopuddler
5	Leveller	14. Reversible Mechanical Plow
6	Ridger	15. Resersible Hydraulic Plow
7	Bund Former	16. Furrow Opener
8	Rotavator	
C	**Inter Cultivation Equipments**	
1	Power Weeder [Engine Operated below 2 bhp.]	
2	Weeder [PTO operated]	
3	Grass/Weed Slasher	
4	Rice Straw Chpper	
D	Equipments for Residue Management/Hay & Forage	
1	Straw Reaper	
2	Sugarcane Thrash Cutter	
3	Coconut Frond Chopper	
E	**Harvesting & Threshing Equipments**	
1	Multi crop Thresher	
2	Ground Nut Pod Stripper, Thresher	
3	Paddy Thresher	
4	Brush Cutter	
F	**Self Propelled Machinery**	
1	Reaper Cum Brinder	
2	Reaper	
3	Post Hole Digger/Auger	
4	Pneumatic/Other Planter	
G	**Power Tiller**	
1	Power Tiller [Below 8 BHP]	
2	Power Tiller [8 BHP & Above]	

Note: - Detailed list of agricultural implements/ machines is available under guidelines of Agriculture Implement Subsidy Programme for financial year 2016-17.